समक्ष

श्री आर.एन.मित्तल माननीय न्यायमूर्ति

कांशी राम,-याचिकाकर्ता

बनाम

नारायण सिंह,-प्रतिवादी

1979 का सिविल पुनरीक्षण संख्या 2030।

13 मई, 1983।

पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट (XVIII ऑफ 1961) पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) हरियाणा संशोधन एक्ट (XXIII ऑफ 1973) द्वारा संशोधित धारा 2(जी) खंड (4-ए) - मूल अधिनियम की धारा 2 (जी) में संशोधन अधिनियम द्वारा खंड (4-ए) डाला गया - इसके द्वारा शामलात देह की परिभाषा में संशोधन किया गया - भूमि जो पहले शामलात देह नहीं थी अब परिभाषा में शामिल है - ऐसे खंड का सम्मिलन -क्या पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा।

ये निर्धारित किया गया कि, पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 1973 की धारा 2 द्वारा, पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 में खंड (4-ए) जोड़ा गया है। हालाँकि, संशोधन अधिनियम यह नहीं दर्शाता है कि विधायिका खंड (4-ए) को पूर्वव्यापी प्रभाव देना चाहती थी। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी अधिनियम के मूल अधिकारों को बनाने या छीनने के प्रावधान आमतौर पर भावी होते हैं; वे केवल तभी पूर्वव्यापी हैं यदि विधायिका व्यक्त या निहित शब्दों द्वारा उन्हें ऐसा बनाती है। विधायिका का इरादा उसके द्वारा उपयोग किए गए शब्दों से इकट्ठा किया जाता है, जिससे उन्हें उनके स्पष्ट अर्थ मिलते हैं। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता कि खंड (4-ए) पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हुआ।

(पैरा 6)

सी.पी.सी. की धारा 115 के तहत याचिका आपत्ति याचिका के बाद श्री आर.एन. बत्रा, वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, रोहतक के न्यायालय के 7 अगस्त, 1979 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए और यह मानते हुए कि 10 मई, 1971 को संशोधित दिनांक 7 नवंबर, 1970 की डिक्री को निष्पादित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यह निष्पादन योग्य नहीं है और पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

याचिकाकर्ता के लिए आर.एस. मित्तल, वरिष्ठ अधिवक्ता और एन.के. खोसला, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों की ओर से पी.एस. जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता और एस.के. जैन, अधिवक्ता।

निर्णय

श्री आर.एन.मित्तल माननीय न्यायमूर्ति (मौखिक):

(1) यह पुनरीक्षण याचिका कांशीराम डिक्री धारक द्वारा 7 अगस्त 1979 के निष्पादन न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि अंतिम डिक्री निष्पादन योग्य नहीं है।

(2) मामले का इतिहास उतार-चढ़ाव भरा रहा है। शमिलत भूमि के विभाजन के लिए मुकदमा जनवरी, 1948 में वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, रोहतक की अदालत में दायर किया गया था। अंततः, उनके द्वारा 7 नवंबर, 1970 को विभाजन के लिए एक अंतिम डिक्री पारित की गई थी। उस डिक्री के खिलाफ एक अपील जिला न्यायाधीश, रोहतक, द्वारा 2 अगस्त, 1972 को खारिज कर दी गई थी। इस न्यायालय में दूसरी अपील (आर.एस.ए. नं. 1664/1972) भी 18 अगस्त, 1978 को खारिज कर दी गई। दूसरी अपील के लंबित रहने के दौरान, सी.एम. क्रमांक 97-सी सन् 1978 दाखिल की गई जिसमें आपत्ति ली गई कि डिक्री पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में जाना जाएगा, 1961 की धारा 2 की उपधारा (जी) में खंड (4ए) को शामिल करने के कारण निष्पादन योग्य नहीं है। उक्त उपधारा

'शामिलत देह' को परिभाषित करती है। द्वितीय अपील के साथ वह आवेदन भी खारिज कर दिया गया।

(3) दूसरी अपील खारिज होने के बाद डिक्री धारक ने निष्पादन की कार्यवाही शुरू की। फिर, प्रतिवादी नारायण सिंह द्वारा एक आपत्ति याचिका दायर की गई, कि उक्त खंड (4ए) के तहत संपत्ति ग्राम पंचायत में निहित थी और डिक्री निष्पादन योग्य नहीं है। डिक्री-धारक द्वारा आपत्ति का विरोध किया गया, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ दलील दी कि अंतिम डिक्री पारित करते समय पार्टियों के अधिकारों का निर्धारण किया गया था और इसलिए, आपत्ति याचिका खारिज कर दी गई थी।

(4) विद्वान निष्पादन न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 23 जून, 1973 को डाले गए अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (जी) में खंड (4ए) का पूर्वव्यापी प्रभाव था और इसलिए, उस खंड के आधार पर पढ़ा गया अधिनियम की धारा 4(2), विवादित संपत्ति ग्राम पंचायत में निहित है। नतीजतन, इसने आपत्ति को स्वीकार कर लिया और माना कि डिक्री निष्पादन योग्य नहीं थी। कांशीराम डिक्री धारक उक्त फैसले के खिलाफ इस न्यायालय में पुनरीक्षण में आये हैं।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पार्टियों के अधिकार 7 नवंबर 1970 को निर्धारित किए गए थे, जब अंतिम डिक्री पारित की गई थी और इसलिए, धारा 4 के साथ पढ़े गए खंड (4 ए) के आधार पर अधिनियम के अनुसार, संपत्ति पंचायत देह में निहित नहीं है। उनका यह भी कहना है कि उपरोक्त खंड (4ए) पूर्वव्यापी नहीं है जैसा कि कार्यकारी न्यायालय ने इसकी व्याख्या की है।

(6) मैंने विद्वान वकील के तर्क पर उचित विचार किया है और उसमें बल पाया है। पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियम) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 1973 की धारा 2 द्वारा खंड (4ए) डाला गया था। धारा 2 इस प्रकार है: -

"2. 1961 के पंजाब अधिनियम 18 की धारा 2 का संशोधन। - पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (जी) के उप-खंड (4) के बाद (बाद में इसे मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा), निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाएगी अर्थात्: -

'(4ए)—आबादी देह या गोरा देह में स्थित खाली भूमि जिस पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व नहीं है।

अनुभाग की भाषा से यह नहीं पता चलता कि विधानमंडल खंड (4ए) को पूर्वव्यापी प्रभाव देना चाहता था। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि मूल अधिकारों को बनाने या छीनने वाले अधिनियम के प्रावधान आमतौर पर भावी होते हैं; वे केवल तभी पूर्वव्यापी होते हैं जब विधायिका व्यक्त या निहित शब्दों द्वारा उन्हें ऐसा बनाती है। विधायिका का इरादा इसके द्वारा उपयोग किए गए शब्दों से इकट्ठा किया जाता है, जिससे उन्हें उनके स्पष्ट अर्थ मिलते हैं। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता कि खंड (4ए) पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हुआ। इसके विपरीत विद्वान निष्पादन न्यायालय का निष्कर्ष गलत है और रद्द किये जाने योग्य है। इस मामले में संसदों के अधिकार अंतिम डिक्री द्वारा निर्धारित किए गए थे। इसके बाद पार्टियों को उन्हें आवंटित भूखंडों का कब्ज़ा दिलाया जाना था। नतीजतन, अंतिम डिक्री के बाद, शमिलत भूमि शमिलत नहीं रही और पार्टियों को आवंटित क्षेत्र उनमें निहित हो गए। इसलिए, उपरोक्त खंड (4ए), जो 1973 में लागू हुआ, उनके अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। यह बताना भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि इसी तरह की आपत्तियों वाला एक आवेदन इस न्यायालय में अपील के लंबित रहने के दौरान दायर किया गया था और इसे खारिज कर दिया गया था। इसलिए, आपत्ति भी प्रतिवादी को उपलब्ध नहीं थी। उपरोक्त सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, मेरा मानना है कि निष्पादन न्यायालय ने यह मानने में खुद को गलत दिशा दी कि डिक्री निष्पादन योग्य नहीं थी।

(7) उपरोक्त कारणों से, मैं पुनरीक्षण याचिका को लागत सहित स्वीकार करता हूं, निष्पादन न्यायालय के आदेश को रद्द करता हूं और उसे कानून के अनुसार डिक्री निष्पादित करने का निर्देश देता हूं। पार्टियों को 10 जून, 1983 को निष्पादन न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आदित्य जैन

सिविल जज (जूनियर डिविजन) व प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

पानीपत, हरियाणा।